पटना में दिनांक–19 अप्रैल, 2018 वृहस्पतिवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

समाज कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के तहत बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में आंशिक संशोधन करते हुए वैसे तेजाब पीड़ित के मामलें में जो बिहार का मूल निवासी हो या तेजाब हमला की घटना बिहार में हुआ हो को पेंशन देने हेतु दिव्यांगता की न्यूनतम अहर्ता 40 प्रतिशत की शर्त्त विलोपित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव है। — 1. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

2. केन्द्र प्रायोजित Umbrella ICDS तथा NSAP स्कीम में ससमय केन्द्रांश मद की राशि प्राप्त नहीं होने से योजना का कार्य बाधित हो जाने के कारण कार्यहित में केन्द्रांश मद की राशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में उदव्यय/बजट उपबन्ध के अन्तर्गत राज्यांश मद की राशि की निकासी एवं व्यय हेतु गवित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 की कंडिका 7(क) को Umbrella ICDS तथा NSAP स्कीम के लिए शिथिल करने की स्वीकृति के संबंध में। — 2. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

3. समेकित बाल विकास छत्र–योजना अंतर्गत राज्य योजना से ऑगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना में प्रति लाभार्थी देय राशि 250/–रू० से बढ़ाकर 400/–रू० करने के संबंध में। — 3. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

4. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की स्वीकृति के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**